



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 2019/श्रावण 28, 1941

No. 468]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 2019/SHRAVANA 28, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 578(अ).—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 253 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भू-भागीय सीमाओं के भीतर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 247 या धारा 254, के अंतर्गत अधिमत अपीलों का निर्णय करने के लिए अपील अधिकरण का गठन करती है तथा श्रीमती पूनम चौधरी, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा. सं. 14011/38/2014-दिल्ली-II]

एन. के. सिंहा, आर्थिक सलाहकार (यू.टी.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2019

G.S.R. 578(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 253 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby constitutes the Appellate Tribunal for deciding appeals preferred under Section 247 or Section 254 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994, within the territorial limits of the National Capital Territory of Delhi and appoints Smt. Poonam Chaudhary, an officer of Delhi Higher Judicial Service, as the Presiding Officer of the said Tribunal, with effect from the date of publication of this notification.

[F. No.14011/38/2014-Delhi-II]

N. K. SINHA, Economic Adviser (UT)